प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 17.09.2025

थाना मसूरी पुलिस द्वारा शारीरिक शोषण के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.09.2025 को थाना मसूरी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया की पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष दिनांक 11.9.25 को घर से बिना बताये चली गयी थी जो दिनांक 12.9.25 को शाम करीब 16.00 बजे वापस आयी तो वादिया की पुत्री द्वारा डरते-डरते बताया कि उसको अभियुक्त मोहित बहला-फुसलाकर ले गया था व अभियुक्त मोहित पिछले कई महीनो से वादिया की पुत्री के साथ शारीरिक शोषण करता आ रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2)/64(1) बीएनएस व 51/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 16.09.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहित पुत्र वेदप्रकाश निवासी गंगापुरम थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादिया की पुत्री से 01 वर्ष पूर्व से बातचीत थी। दिनांक 11.9.25 को मैं वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था व उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र वेदप्रकाश निवासी गंगापुरम थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष **आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.07.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त मनीष द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बहला-फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की तलाश व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1)/87 बीएनएस व धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 17.09.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मनीष उर्फ तुषार पुत्र मूलचन्द नि0 ई 76 ग्राउण्ड फ्लौर एसएलएफ वेद विहार डीएलएफ थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादी की पुत्री से बातचीत थी। एक दिन मैं वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनीष उर्फ तुषार पुत्र मूलचन्द नि0 ई 76 ग्राउण्ड फ्लौर एसएलएफ वेद विहार डीएलएफ थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला शातिर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 17.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांजा की तस्करी करने वाले शातिर गांजा तस्कर अभियुक्त शम्भू कुमार उर्फ आकाश पुत्र राजेश प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी कासिम विहार फेस-2 नसीब विहार उम्र करीब 32 वर्ष को ताज हाईट बिल्डिंग के पास चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उक्त बरादगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद अवैध गांजा की बाजार में कीमत करीब 60 हजार रूपये बतायी जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं काफी समय से चोरी छुपकर दिल्ली से गांजा की तस्करी करता हूँ। दिल्ली से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर दिल्ली के आस पास के यूपी क्षेत्र में मंहगे दामों मे बेच देता हूँ, इससे मुझे काफी आर्थिक लाभ होता है। आज मैं यह गांजा आस पास के क्षेत्र में फुटकर में लोगो को बैचने की फिराक में था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शम्भू कुमार उर्फ आकाश पुत्र राजेश प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी कासिम विहार फेस-2 नसीब विहार उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर अवैध गांजे की तस्करी करने के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 17.09.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान प्रेम गली में राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन से 01 अभियुक्त अरमान उर्फ आमिर पुत्र जाहिद निवासी गली न0 03 मकान न0 154 जामा मस्जिद के पास जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त व बाल अपचारी के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त व बाल अपचारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद स्कूटी को दोनों ने करीब 02 सप्ताह पहले सूर्य नगर से चोरी किया था। दोनों मिलकर घरों से मोटर साइकिल, स्कूटी एवं साइकिल चोरी करते हैं। आज भी दोनों स्कूटी व साइकिल चोरी करने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अरमान उर्फ आमिर पुत्र जाहिद निवासी गली न0 03 मकान न0 154 जामा मस्जिद के पास जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. 01 बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त व बाल अपचारी के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर

‘वादी संवाद दिवस’ आयोजित किया गया

श्रीमान् पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को समस्त थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **17.09.2025** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की भाँति **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता,विश्वसनीयता एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया तथा इस दौरान सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त भी अपने-अपने सर्किल के थानों पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 17.09.2025 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	103
2.	ट्रांस हिण्डन	63
3.	ग्रामीण	163
कुल योग (कमिश्नरेट गाजियाबाद)		**329**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने

प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जन केन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

"गाजियाबाद पुलिस प्रशासन का मूल उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, संवेदनशील एवं उत्तरदायी सेवा प्रदान करना है।"

स्वॉट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में विदेशी नागरिकों को हैल्थ सर्विस देने के नाम पर ठगी कर अवैध रूप से चल रहे कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुए 11 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से डेस्कटॉप, लैपटॉप, 20 हजर रूपये नगद, उपस्थिति रजिस्टर, मोबाइल फोन, मुहर, मेडिकेयर स्क्रिप्ट की छायाप्रति व एन्डिवर कार समेत अन्य सामान बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में ऑर्बिट प्लाजा मे चल रहे फर्जी कॉल सेन्टर में विदेशी नागरिकों को हेल्थ सर्विस देने के नाम पर ठगी कर अवैध रूप से चल रहे कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुए मास्टर माइण्ड सहित कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से डेस्कटॉप, लैपटॉप, 20 हजर रूपये नगद, उपस्थिति रजिस्टर, मोबाइल फोन, मुहर, मेडिकेयर स्क्रिप्ट की छायाप्रति व एन्डिवर कार आदि सामान बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

घटना का विवरण:- दिनांकः17/09/2025 को मुखबिर की सूचना पर स्वॉट टीम क्राइम ब्रान्च व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्रान्तर्गत ऑर्बिट प्लाजा के 05 वें फ्लोर पर चल रहे यूनिहेल्थ केयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के ऑफिस में पुलिस टीम द्वारा छापामारी में चल रहे फर्जी कॉल सेन्टर विदेशी नागरिकों (यू0एस0ए0) का डाटा चोरी कर कॉलिंग के माध्यम से हेल्थ सर्विस देने के नाम पर ठगी करने वाले मास्टरमाइण्ड सहित 11 लोगो को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से फर्जी कॉल सेन्टर सम्बन्धित लैपटॉप, डैस्कटॉप, मोबाइल फोन आदि उपकरणों को बरामद कर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- उक्त फर्जी कॉल सेन्टर का संचालन मास्टर माइण्ड मोनू उर्फ मनीष द्वारा वर्ष 2018 से किया जा रहा है। उक्त कॉल सेन्टर में इन्टरव्यू के माध्यम से एम्पलोई भर्ती करते थे और उनके वेतन के अनुसार उनको अलग से फर्जी कॉलिंग कर विदेशी नागरिकों को झाँसे मे लेकर ठगी करते थे। इस काम का एम्पलोई को अलग से इन्सेंटिव भी दिया जाता था। उक्त कॉल सेन्टर मे मास्टर माइण्ड समेत कुल 25 लोग काम करते थे, जिसमे लड़के व लड़कियाँ शामिल है, जिसमे 03 लड़कियों सहित अन्य लोग फरार है। विदेशी नागरिकों का ऑनलाइन डाटा मनीष उर्फ मोनू के द्वारा प्राप्त कर एम्पलोईयों को दिया जाता था व अलग से बोलने के लिए अमेरिकन स्क्रिप्ट तैयार करते थे तथा यू0एस0ए0 बैठे मनीष उर्फ मोनू के साथी TONY और JAKE के माध्यम से अमेरिकन नागरिकों को मेडिकेयर के नाम पर हेल्थ सर्विसेज देने के लिए झाँसा देकर हेल्थ केयर की लीड को जेनरेट कर अमेरिकन नागरिकों से ठगी कर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे तथा पूरे कॉल

सेन्टर का संचालन मनीष उर्फ मोनू व उसकी HR मैनेजर रूचिता व IT विभाग के अजय यादव के द्वारा किया जाता था। अभियुक्त सूजल त्यागी व उसकी सहकर्मी रिंगमाइका जो नागालैण्ड की रहने वाली है मेडिकल हेल्थ सर्विस की जेनरेट लीड की क्वालिटी को चैक करते थे व अन्य लोग टीम लीडर व REPS के रूप में फर्जी कॉल सैन्टर के अन्दर कार्य कर रहे थे तथा शिवम त्यागी फर्जी कॉल सैन्टर के अन्दर असिस्टेंट मैनेजर के रूप मे कार्य कर रहा था। उक्त कम्पनी यूनिहेल्थ केयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड को कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत फर्म का पंजीकरण साफ्टवेयर डवलपर पब्लिशर व गेमिंग के नाम पर रजिस्टर्ड करा रखा है। इसी की आड मे फर्जी कॉल सैन्टर का संचालन कर अमेरिकी नागरिको को वी0सी0 डॉयलर सॉफ्टवेयर के नाम से धोखाधडी कर उनके व्यक्तिगत डाटा, हैल्थ हिस्ट्री, आर्थिक स्थिति व डॉक्टर्स सभी का सम्पूर्ण विवरण गैरकानूनी रूप से अमेरिकम फर्म्स के TONY और JAKE को बेचा जाता था व यू0एस0 की प्रतिष्ठित कम्पनी अमेरिकन हेल्थ वैलनेस, यू0एस0 हैल्थ कैनेट, जेनेटिक सर्विस आदि का प्रतिनिधि बनकर अमेरिकन ऐसेन्ट मे अपना फर्जी अमेरिकन नाम बताकर अमेरिकन लोगो को ठगा जाता था जिससे ये लोग भारत देश की छवि को विदेशो मे खराब कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.मनीष उर्फ मोनू पुत्र रत्नेश चन्द्र निवासी 2302 पेंट हाऊस ए, टावर 2 बी पंचशील वेलिंगटन थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता ग्राम खेतराजपुर थाना खेतराजपुर जिला संभलपुर उडीसा उम्र करीब- 39 वर्ष

2.अजय कुमार यादव पुत्र श्रीकांत यादव निवासी म0नं0 82 मोहन बाबा नगर ताजपुर थाना बदरपुर जिला दक्षिण दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष

3.शिवम त्यागी पुत्र अनिल त्यागी निवासी ग्राम डूँडाहैडा थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 27

4. रजनीश कुमार सिंह पुत्र राजभूषण सिंह निवासी 92 शंकर विहार लाल कुँआ गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

5.सूजल त्यागी पुत्र जितेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम छपरौला थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर उम्र करीब वर्ष 21

6. हिमांशु वर्मा पुत्र भोपाल सिंह निवासी 102 राकेश मार्ग थाना सिंहानी गेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

7.मोहित पुत्र नारायण सिंह निवासी सैन विहर निकट एकता पब्लिक स्कूल विजयनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

8. संजीव यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी म0नं0 142ए गली नं0.01 सैन विहार निकट एकता पब्लिक स्कूल विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

9.प्रकाश सिंह नेगी पुत्र उम्मेद सिंह नेगी निवासी इंदिरा नगर 2ND पिंदूखत्ता लालकुआँ उत्तराखंड हाल पता सेवियर ग्रीन आइजल ए-06/2406 क्रासिंग रिपब्लिक गा0बाद उम्र करीब वर्ष 29

10.हिमाँशु कौशिक पुत्र संजय शर्मा निवासी ग्राम बहजोला मवाना रोड मेरठ थाना इंचौली हाल पता सेवियर ग्रीन पार्क ए-06/2406 क्रासिंग रिपब्लिक गा0बाद उम्र करीब वर्ष 26

11.अँकुर पुत्र शैलेन्द्र कुमार निवासी सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद मूल पता काली मन्दिर रोड निकट जे0पी0 अस्पताल थाना कोतवाली गोरखपुर जिला गोरखपुर उम्र-25 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

1.कम्प्यूटर डैस्क टॉप- 25

2.पावर अडप्टर- 25

3.कम्प्यूटर कीपैड- 25

4.हैड फोन- 25

5.कम्प्यूटर माऊस- 25

6.कम्प्यूटर यूपीएस- 11

7.मोहर- 03

8.मोबाइल – 02
9.राऊटर- 09
10.लैपटॉप- 01
11.मैडिकेयर स्क्रिप्ट की छायाप्रति - 10
12.नगदी- 20 हजार रू0
13.एन्डिवर गाडी रंग सफेद न0- यू0पी0 80 सी0डब्लू 0033- 01
14. पैन कार्ड- 01
15.उपस्थिति रजिस्टर- 01

आपराधिक इतिहासः-

अभियक्तगणो के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

स्वॉट टीम क्राइम ब्रान्च व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।

साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 24,767/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 17.09.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका श्री ज्योति निगम नि0 F255 गौर सिद्धार्थम सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 24,767/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12.09.2025 को आवेदिका श्री ज्योति निगम नि0 F255 गौर सिद्धार्थम सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 24,767/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 17.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल